डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

इजलास जगदीश आर्य (आर.ए.एस)

उनवान

भीम सिंह पुत्र गिरधारी जाति चौकीदार मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम	बनाम	1. मिश्रया पुत्र भैरया मीना निवासी खोहरा 2. फत्ता पुत्र गौरया मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0.67 सन 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल काई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट एवं वादी भीमसिंह मिनजानिब मुदई बमुकाबला प्रतिवादी मिश्रया मीना मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः दावा वादीगण प्रतिवादी दावा डिक्री करने योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आराजी ख0न0 249 रकबा 1.09 है0 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम मे वादीगण के कब्जे प्रभुत्व की भूमि मे मदाखलत दखलन्दाजी न करे और नही किसी प्रकार का निर्माण करें। न ही किसी अन्य से करावे।

खर्च...NIL...मुबलिग...NIL...बाबत...NIL...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह... NIL...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...NIL...अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26.06.2018 को जारी की गई।

दस्तखत... उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

ओहदा.............

खर्च	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत					
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
तलबाना इजराय हुक्मनामा			तलबाना इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 157/2017

तारीख रजू:- 26.12.2017

पीठासीन अधिकारी:- जगदीश आर्य आर.ए.एस.

उनवान

भीमसिंह पुत्र गिरधारी जाति चौकीदार मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

(वादी)

बनाम

1. मिश्रया पुत्र गौत्या मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम
2. फत्ता पुत्र मौत्या मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति- श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खोहरा मे पेश हुई। प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 249 रकबा 0.09 है0 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम मे वादी व उसके भाई सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी गण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबध नही है। प्रतिवादीगण लठैत, मुस्टमर्द गिरोह बंध व्यक्ति वाले व पैसे वाले व्यक्ति है। जिन्होंने एक गिरोह गठित कर रखा है। तथा वे वादीगण को समस्त आराजी से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते है। वाका दिनांक 08.06.2017 को वादी अपनी आराजीयात की देखभाल कर रहा था। कि प्रतिवादीगण एक टैक्टर ट्राली लेकर आये तथा पत्थर डालने लगे। वादी ने समझाया कि ऐसा क्यो कर रहे हो इस आराजीयात से तुम्हारा कोई संबध नही है। इतना सुनते ही प्रतिवादीगण नाराज हो गये और कहने लगे कि यह आराजीयात हमारे परत की है। कुछ चाहिए तो ले लो नही तो हम इसमे निर्माण करेगें वादी एवं गणमान्य व्यक्तियो ने प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया किन्तु वो किसी की बात मानने को तैयार नही है। जबरदस्ती कब्जा करने का आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपनी इस गैर कानूनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तिनीय क्षति होगी। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अत: दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें। कि वे आराजीयात ख0न0 249 रकबा 0.09 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम मे वादी के कब्जे व हिस्से की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। आराजी मे कोई निर्माण नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इस कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मे सुनवाई के लिए नियत की गई। वादी एवं प्रतिवादी मिश्रया उपस्थित आए वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी मेरी खातेदारी व हिस्से की भूमि को जबरदस्ती हडपना

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम (करौली)

चाहता है। इसलिए इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादी मिश्रया ने जमीन का सीमाज्ञान कराने का कथन किया।

दोनो पक्षकारान को सुनकर पत्रावली का अवलोकन कर मजनेआम मे जानकारी करने पर पाया कि आराजी ख0न0 249 रकबा 0.09 है0 वादी एवं उसके भाईयो की खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादी गण का किसी प्रकार का कोई संबध नही है।

अतः दावा बखिलाफ प्रतिवादी दावा डिक्री करने योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आराजी ख0न0 249 रकबा 0.09 है0 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम मे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मे मजाहमत मदाखलत न करे और नही किसी प्रकार का निर्माण करें। न ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय शिविर खोहरा मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner